# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक – 21/1/19

क्रमांक रीडर/2019/ 109

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 किशनलाल 2 मदनलाल पिसरान सोनाराम 3 भैराराम पुत्र चिमाराम जाति सोनी निवासी छितर का पार, तहसील व जिला बाडमेर। | | 1 भंवरसिंह पुत्र खेतसिंह 2 चैनसिंह पुत्र जवारसिंह जाति राजपूत 3 पन्नाराम 4 चीमाराम पिसरान गेनाराम जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा, कवास तहसील व जिला बाडमेर। |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत**

दिनांक– 21.01.2019

राजस्व आवेदन संख्या :–1359/2017

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा काऊ का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 814/133 रकबा 19.00 बीघा, खसरा संख्या 815/133 रकबा 19.00 बीघा व खसरा संख्या 133 रकबा 19.01 बीघा कुल रकबा 57.01 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2019/ 110-113

दिनांक– 21/1/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. किशनलाल पुत्र सोनाराम वगैराह जाति सोनी निवासी छितर का पार, तहसील व जिला वाडमेर।
4. विप्रार्थी भंवरसिंह पुत्र खेतसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी काऊ का खेड़ा, कवास तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner